ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल, विकास खण्ड धर्मपुर, ज़िला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला सोलन के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री रंजराम सिंह	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1 .	श्री पवन कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	10.80
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	46.55
3	7.1	गृहकर की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	2.71
4	7.2 (क, ग)	दुकानों के किराया वसूली हेतु शेष होना	4.99
5	8.1	स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा करवाये बिना ही व्यय किया जाना	0.20
6	8.2	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्वीकृति/कार्य आदेश, फंड ट्रान्सफर आर्डर, माप आंकलन, तकनीकी / प्रशासनिक स्वीकृति व मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना	55.58
7	8.3	आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राजस्व की संभावित वित्तीय हानि	0.47
8	8.4	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	2.54
9	8.5	विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु आपूर्तिकर्ता को निविदा में अंकित दर से अधिक दर का भुगतान के कारण अपेक्षाकृत अधिक भुगतान करना	0.07

10	8.6	मनरेगा के मस्ट्रोल में माप पुस्तिका में अंकित भुगतान योग्य राशि से अधिक का भुगतान करना	0.06
11	9 (क,ख)	केवल चयनित माह में निविदा के आधार पर व वास्तविक / मूल बिलों के बिना भुगतान करना	2.03
12	13.1	स्थायी व अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	1.94
13	14	स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करना	0.05
14	14.1	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करना	0.01
15	14.2	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करना	0.10

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल का अंकेक्षण अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लिये किया गया था जिसके अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:-

<u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 तक</u>

क्र० सं०	पैरा सं०	नवीनतम स्थिति
1	3	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
2	4	निर्णीत (वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)

3	5	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
4	6	अनिर्णीत
5	7	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
6	8	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
7	9	निर्णित
8	10	अनिर्णीत
9	11	अनिर्णीत
10	12	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
11	13	अनिर्णीत
12	14	अनिर्णीत
13	15	अनिर्णीत

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल, विकास खण्ड धर्मपुर, ज़िला सोलन के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री बनीश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24.07.2024 से 01.08.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में

किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	11/22	08/22
2023-24	03/24	06/23

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):-</u> *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5600/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 15/2024/कसौली गढ़खल दिनांक 01.08.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 26/2024 दिनांक 01.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण शुल्क की राशि को ग्राम पंचायत की बैठक में पारित करके शीघ्र ही बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेज दिया जाएगा।

4. **वित्तीय स्थिति:-**

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 10/2024 दिनांक 24.07.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क व ख "** में भी दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹) (कालम 2+3)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹) (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	292505.50	309421.00	601926.50	250836.20	351090.30
2023-24	351090.30	288908.80	639999.10	270459.50	369539.60

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹) (कालम 2+3)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹) (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	4255596.66	7094762.46	11350359.12	6493032.75	4857326.37
2023-24	4857326.37	3215850.01	8073176.38	3418253.11	4654923.27

कुल योग (1+2) = 399539.60 + 4654923.27 +55.02 (नगद शेष) = **5024517.89**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के तथा बैंक खातों में राशि के अन्तशेष **₹3944312.89 (परिशिष्ट -"ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र० स०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	सभा निधि / SF, 4TH SFC, MPLADS,MMGPY,NRHM, SBM, VKVNY, VMJS, LDP, 14वां वित्तायोग / 14FC	जोगिंद्रा सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक, गढ़खल	102734029100060	79115.70
2	4TH SFC, DPAP, ICDS, LADP, MPLADS, MMGPY, NRHM, SDP, SDRF, SBM, VKVNY, VMJS, 13TH FC, 14TH FC & सभा निधि / SF	जोगिंद्रा सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक, धर्मपुर	100734029000026	849978.28
3	सभा निधि / SF, MMGPY,	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक धर्मपुर	89271100000116	2470.56
4	सभा निधि / SF, NRLM,	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक धर्मपुर	89271100000125	53805.64
5	सभा निधि / SF, 14वां वित्तायोग / 14FC, IAY,	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, गढ़खल	02281000002450	4766.86
6	14वां वित्तायोग / 14FC	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक धर्मपुर	89271100000024	500.86
7	सभा निधि / SF, 15वां वित्तायोग / 15FC	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक धर्मपुर	89271100000151	2953674.99
			जोड़	**3944312.89**

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	**5024517.89**
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	**3944312.89**
अंतर :-	**1080205.00**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹10.80 लाख का अन्तर पाया जाना:-

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को **₹10,80,205.00** की राशि का अन्तर पाया गया। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/कसौली गढ़खल दिनांक 01.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 25/2024 दिनांक 01.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार व अंकेक्षण को दिये आश्वास्नानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता-क खोला

जाएगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण खाता-ख खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी (15)-(13) (एल) 5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अपनी आय (स्वः-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वः-स्त्रोत, 4था वित्त, 5वां वित्त, एम० एम० जि० पि० वाई०, वि० के० वि० एन० वाई०, वि० एम० जे० एस०, एम० पि० एल० ए० डी०, एस० बि० एम०, एन० आर० एच० एम०, एस० डी० आर० एफ़०, व 14वां वित्त शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों के लिये नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध एक ही बैंक खाते का उपयोग किया जा रहा है, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। जोकि नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

इसके अतिरिक्त कुछ अनुदानों के लिये एक से अधिक खाते का उपयोग किया जा रहा है जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। जोकि नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/कसौली गढ़खल दिनांक 01.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 24/2024 दिनांक 01.08.2024 द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में नियमानुसार खाता "क" व "ख" को पृथक कर लिया जाएगा व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता के बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व खाता "क" व "ख" को पृथक करना सुनिश्चित किया जाए और स्व:-स्त्रोत, 4था वित्त, 5वां वित्त, एम० एम० जि० पि० वाई०, वि० के० वि० एन० वाई०, वि० एम० जे० एस०, एम० पि० एल० ए० डी०, एस० बि० एम०, एन० आर० एच० एम०, एस० डी० आर० एफ़०, व 14वां वित्त अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय तथा व्यय के लिये दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिये एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिये अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिये प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बरबादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिये नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.4 लेखा खाता /खाता बही (Account Ledgers) तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि लेखा खाते/ खाता बहियाँ तैयार नहीं किये गए थे जिसके कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-

किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/कसौली गढ़खल दिनांक 01.08.2024 (क्रमांक संख्या 5) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 25/2024 दिनांक 01.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही को आगामी वित्त वर्ष से संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा। पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31.03.2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष पंचायत

निधि (स्व:-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/कसौली गढ़खल दिनांक 01.08.2024 (क्रमांक संख्या 3) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 25/2024 दिनांक 01.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत बैठक मे विचार विमर्श के उपरान्त आवश्यक कर्यवाही बारे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹46.55 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 10/2024 दिनांक 24.07.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क " व परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹46,54,923.27 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। उक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है ।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/कसौली गढ़खल दिनांक 01.08.2024 (क्रमांक संख्या 2) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 25/2024 दिनांक

01.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी को स्वीकृति प्राप्त करके नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7. पंचायत राजस्व

7.1 गृहकर की राशि ₹2.71 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34 (2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। पंचायत सचिव द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान ₹100 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹2,71,160.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी। गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण प्रारूप - 10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का पता लगाया जा सके। गृहकर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/कसौली गढ़खल दिनांक 24.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 10/2024 दिनांक 30.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इतना अधिक पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र नियमित वसूली हेतु वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

वसूली हेतु शेष गृहकर राशि का विवरण :-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवारों	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हे शेष राशि
2022-23	1,63,200.00	819	100/-	89,100.00	2,52,300.00	41420.00	2,10,880.0
2023-24	2,10,880.00	950	100/-	95,000.00	3,05,880.00	34,720.00	2,71,160.0

7.2 दुकानों के किराये से आय:-

(क) दुकानों का किराया ₹4.89 लाख वसूली हेतु शेष:-

सचिव ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 को निम्न विवरणानुसार ₹4,89,416.00 दुकानों के किराये के रूप में वसूली हेतु शेष थे ।

वर्ष	अथ शेष(₹)	मांग(₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि(₹)
2022-23	337670.00	88192.00	425862.00	15000.00	410862.00
2023-24	410862.00	118554.00	529416.00	40000.00	489416.00

इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 10/2024 दिनांक: 24.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 21/2024 दिनांक: 01.08.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वर्णित राशि की वसूली हेतु ठोस प्रयास किये जायेंगे। अतः वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) दुकान के किरायेदारों के साथ अनुबंध का कार्यान्वयन न करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल के अभिलेखों की जाँच पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ज्ञापन संख्या 03/2024/कसौली गढ़खल दिनांक 24.07.2024 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 21/2024 दिनांक 01.08.2024 द्वारा दिए गये विवरण अनुसार दुकान के किरायेदार के साथ किराये के सम्बन्ध में या तो कोई भी लिखित अनुबंध का कार्यान्वयन नही किया गया है या अनुबन्ध 2011 व 2014 मे किये गये है और न ही पंचायत के पास इससे सम्बंधित सम्पूर्ण अभिलेख अर्थात माहवार दर, सम्बन्धित रजिस्टर/लेजर तथा नियम व शर्ते इत्यादि उपलब्ध थी जिस कारण मासिक किराये की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान सम्भव नही हो सकी।

अत: दुकान के किरायेदार के साथ अनुबंध का कार्यान्वयन न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा मामलें में अब आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) दुकानों के किराये के साथ GST की वसूली न करने के कारण सरकार को ₹0.10 लाख के राजस्व की हानि:-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गयी सूचना अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किराये पर दी गयी दुकानों के किरायेदारों से देय किराये पर GST की वसूली नही की जा रही है, जबकि नियमानुसार दुकानों के किराये पर @18% GST की वसूली की जानी अपेक्षित थी अंकेक्षण को उक्त पैरा संख्या 7.2 (क) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार, ग्राम पंचायत की अवधि 2022-23 और 2023-24 के दौरान दुकानों के किराये के रूप में की गई कुल मांग ₹ 55,000/- पर देय GST 18% of ₹ 55,000/- = ₹9,900/- की वसूली उपरांत इसे सम्बंधित विभाग में जमा की जानी अपेक्षित थी, किन्तु नियमो के विपरीत कार्यप्रणाली अपनाते हुए ग्राम पंचायत द्वारा देय किराये पर GST की वसूली नही की गई जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

वर्ष	**दुकान किराये के रूप में वार्षिक मांग (₹)**	**18% की दर से बकाया GST की राशि (₹)**
2022-23	15,000.00	2,700.00
2023-24	40,000.00	7,200.00
कुल	₹ 55,000**/-**	₹ 9,900**/-**

इस संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 12/2024/कसौली गढ़खल दिनांक: 24.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 23/2024 दिनांक: 01.08.2024 द्वारा सूचित किया गया कि दुकानों के किराये के साथ GST की वसूली, इस सम्बन्ध में ज्ञान के अभाव के

कारण नही की जा सकी। जिसे वसूली करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा व आगे से मासिक किराये की वसूली GST सहित की जाएगी।

अत: दुकानों के किराये के साथ GST की वसूली न करने करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व मामलें में अब आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैक खाते में जमा करवाये बिना ही ₹0.20 लाख के व्यय करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 6(3) के प्रावधानानुसार, पंचायत को सभी प्राप्तियों को प्रथमतः बैंक खाते में जमा तथा तदोपरान्त सभी प्रकार के भुगतान को खाते से किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही, बैंक पास बुक व सम्बन्धित अभिलेख में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाये बिना सीधे ही निम्न विवरण अनुसार **₹19,837.00** का व्यय किया गया था जिसका विवरण **परिशिष्ट " घ "** पर संलग्न है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, अपितु आपत्तिजनक भी है जिससे पंचायत के स्व:-स्त्रोतों की आय के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/कसौली गढ़खल दिनांक 26.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 11/2024 दिनांक 01.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को इस सम्बन्धित जानकारी के आभाव के कारण हुआ है व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नही दोहराया जायेगा ।

अत: भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.2 राशि ₹55.58 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, फंड ट्रान्सफर आर्डर, माप आंकलन, तकनीकी / प्रशाशनिक स्वीकृति व मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी/प्रशाशनिक स्वीकृति, माप आंकलन, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कनिष्ठ अभियंता स्तर व तकनीकी स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, माप आंकलन व मापन पुस्तिका अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जिसका विवरण **परिशिष्ट " ड़ "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/कसौली गढ़खल दिनांक 01.08.2024 (क्रमांक संख्या 13) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करने को कहा गया था, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या 25/2024 दिनांक 01.08.2024 में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि कार्य अभी पूर्ण नही हुए हैं व सके सम्बन्धित दस्तावेज़ आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अत: हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (2) (III) की अनुपालना सहित उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.3 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राशि ₹0.47 लाख के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 (ए) के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा। इसके अलावा निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या **XEN-(RD & PR)-DB-General /2023-1/2024192 /2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 अनुसार खनन सामग्री के क्रय हेतु भुगतान केवल आपूर्तिकर्ता द्वारा वैध ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाने उपरांत किया जाएगा**।

अंकेक्षण के दौरान व्यय चयनित माह 08/2022 व 06/2023 के बिल एवं वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए व आपूर्तिकर्ता द्वारा वैध ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध न करवाने के बावजूद संबंधित बिल/वाउचरों का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया गया जो कि

अनियमित एवं आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप राज्य सरकार को **परिशिष्ट - " च "** पर संलग्न विवरणानुसार रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व राशि **₹47,120.00** की संभावित वित्तीय हानि प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/कसौली गढ़खल दिनांक 01.08.2024 (क्रमांक संख्या 9) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 25/2024 दिनांक 01.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) सुनिश्चित नहीं किया गया व आपूर्तिकर्ता से ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दिये जाएंगे अथवा राशि **₹47,120.00** की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः आपूर्तिकर्ता से वैध ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित किए बिना खनन सामग्री के बिल/वाउचरों का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये तथा राज्य सरकार को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होने वाली राशि **₹47,120.00** के संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Nonferrous mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाया जाए व इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के

लिये जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए **भविष्य में (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित करने उपरान्त ही इस प्रकार के बिलों का भुगतान किया जाये** व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना केवल चयनित माह 08/2022 व 06/2023 मे ही ₹2.54 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4),67(5),69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकताओं तथा निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 08/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹2,54,055.50** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "छ"** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/कसौली गढ़खल दिनांक 01.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 25/2024 दिनांक 01.08.2024 द्वारा बताया गया कि सम्बन्धित अनियमितताओं की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अतः इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.5 विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु आपूर्तिकर्ता को निविदा में अंकित दर से अधिक दर का भुगतान के कारण ₹0.07 लाख का अपेक्षाकृत अधिक भुगतान बारे :-

विभिन्न निर्माण कार्यों की जांच के दौरान पाया गया कि आपूर्तिकर्ता को निविदा में अंकित दर से अधिक दर का भुगतान के कारण ₹7455.00 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट " ज "** में दिया गया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/कसौली गढ़खल दिनांक 01.08.2024 के क्रम स० 6 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या 25/2024 दिनांक 01.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि निविदा में अंकित दर से अधिक भुगतान गलती से कर दिया गया है जिसको सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से वसूली करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर किया जायेगा।

अत: उक्त निर्माण कार्यों निविदा में अंकित दर से अधिक दर के भुगतान को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.6 मनरेगा के मस्ट्रोल में माप पुस्तिका में अंकित भुगतान योग्य राशि से अधिक ₹0.06 लाख का भुगतान करना :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरों की पड़ताल पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित निम्न मस्ट्रोलों की जाँच में पाया गया कि माप

पुस्तिका में मापन राशि से अधिक भुगतान व बिना मजदूर के हस्ताक्षरों के **₹5689** राशि का अनियमित भुगतान किया गया है, जिसका विवरण **(परिशिष्ट - "झ")** में सलग्न है ।

इस संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 09/2024/कसौली गढ़खल दिनांक: 29.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 22/2024 दिनांक: 01.08.2024 द्वारा सूचित किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि के संदर्भ मे GRS श्री सत्याव्रत शर्मा व तकनीकी सहायक राकेश कुमार से विस्तृत चर्चा को गई है व उन्होंने स्वीकार किया है कि **₹5989** की राशि का अनियमित व्यय गलती से हुआ है व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नही दोहराया जायेगा व उचित वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

अत: उक्त भुगतान को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 केवल चयनित माह में ₹2.03 लाख की राशि के निविदा के आधार पर व वास्तविक / मूल बिलों के बिना भुगतान करना : -

(क) केवल चयनित माह में मनरेगा मे ₹1.07 लाख की राशि का संदिग्ध व गम्भीर अनियमित भुगतान आपूर्तिकर्ता को निविदा के आधार पर करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 6 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार लेखों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा बिल / वाउचर का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा था। लेखों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा में ₹1,07,496.00 की राशि का संदिग्ध व अनियमित भुगतान निविदा के आधार पर कर दिया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट** "ञ " पर सलग्न है, तथा अंकेक्षण

की समाप्ति तक भी वास्तविक बिल / वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किये गये जो कि एक गम्भीर वितीय अनियमितत है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/कसौली गढ़खल दिनांक 01.08.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था। इसके प्रत्युत्तर में क्रमांक 24/2024 दिनांक 01.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि यह भुगतान गलती से हो गया है व इस सन्दर्भ में जाँच करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दे जायेगा, उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है |

अतः उक्त व्यय अति संदिग्ध प्रतीत होता है जिसकी विवभागीय सत्र पर जाँच करवानी चाहिये व जिसका विवरण आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाए तथा भविष्य में इस तरह की अनियमितता को न दोहराया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

(ख) केवल चयनित माह में ₹0.95 लाख की राशि के बिलों के भुगतान वास्तविक / मूल बिल के बिना करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 6 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार लेखों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा बिल / वाउचर का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा था। लेखों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार ₹95,235.00 की राशि का संदिग्ध व अनियमित भुगतान बिलों की Xerox copy के आधार पर किये गये थे, जिसका विवरण **परिशिष्ट " ञ "** पर सलग्न है, तथा अंकेक्षण की समाप्ति तक भी वास्तविक बिल / वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किये गये जो कि एक गम्भीर वितीय अनियमितता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/कसौली गढ़खल दिनांक 01.08.2024 (क्रमांक संख्या 15) द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था। इसके प्रत्युत्तर में क्रमांक 25/2024 दिनांक 01.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस सन्दर्भ में उचित कारवाही करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दे जायगी, उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है |

अतः उक्त व्यय की गई राशि के वास्तविक बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाए तथा भविष्य में इस तरह की अनियमितता को न दोहराया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

10 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति / पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना : -

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रतियां अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नही हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा के दौरान बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड, विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है, जोकि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

11. विविध अनियमितताएं :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है। परन्तु जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के

अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की मापन पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गयी थी परन्तु मापन पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12.1 स्थायी व अस्थायी भण्डार ₹1.94 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 08/2022 व 06/2023 के वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा **₹1,94,222.00** के भण्डार को भंडार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ट"** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/कसौली गढ़खल दिनांक 01.08.2024 (क्रमांक संख्या 12) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 25/2024 दिनांक 01.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया समय के अभाव के कारण स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है व इसे लेखांकित कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रतिउत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अत :क्रय किये गये सामान का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

12.2 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/कसौली गढ़खल दिनांक 01.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या 25/2024 दिनांक 01.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। उत्तर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13 स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.05 लाख की वसूली न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई सूचना व व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 08/2022 व 06/2023 के वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि फर्म के

बिलों से स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹ 5,164.21 की राशि का स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी। जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ठ "** में दिया गया है। आयकर की धारा 194(c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था ।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/कसौली गढ़खल दिनांक 01.08.2024 (क्रमांक संख्या 14) द्वारा ₹5,164.21 की स्रोत पर आयकर की कटौती ना करने पर सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 25/2024 दिनांक 01.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि संबन्धित कंपनी (वेंडर) से शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा ।

अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

14.1 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की अंकेक्षण के दौरान वसूली बारे : -

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹600.00** की वसूली नहीं की गई थी, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम0 स0	नाम	विवाह कि तिथि	पंजीकरण तिथि	वसुली योग्य राशि	वसुली गई राशि	रसीद संख्या	रसीद दिनांक
1	मुनीश कुमार	08.06.2022	12.07.2022	400	200	94890	12.07.2022
2	धनंजय अत्री	08.07.2022	06.08.2022	200	0		
3	आदित्या चिमनी	21.08.2022	06.09.2022	200	0		

जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/कसौली गढ़खल दिनांक 30.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15/2024 दिनांक 01.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त राशि को वसूली करके आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अंकेक्षण के दौरान उक्त वसूली करके अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेअवलोकन उपरांत पुष्टि कर ली गई है व परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाये और विवाह पंजीकरण के समय ही शुल्क वसूली सुनिश्चित की जाये।

14.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹0.10 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे : -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है तथा जिसे समय समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में

निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित था।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई कुल राशि **₹ 10,750.00** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/कसौली गढ़खल दिनांक 30.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15/2024 दिनांक 01.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जल्द ही नियमानुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	अस्थाई अग्रीमों का रजिस्टर	09	30
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103
8.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	95(1)
9.	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
10.	बजट प्राक्कलन	11	37
11.	चौकीदार को जारी की जाने वाली वर्दी का रजिस्टर	-----	31

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2024/कसौली गढ़खल दिनांक 30.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या 16/2024 दिनांक 01.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत: प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

17. निष्कर्ष :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 26.9.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

26 SEP 2024

4644 – 4648 का०/प्रति०

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (4) 47/2018 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मपुर, जिला सोलन हि0प्र0।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत कसौली गडखल, विकास खण्ड धर्मपुर जिला सोलन (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

26 SEP 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 26.9.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का०/प्रति०

प.1/2/cc के, पैरा संख्या 4,6 के सन्दर्भ में

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP KASAULI GARKHAL FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	292505.50	309421.00	601926.50	250836.20	351090.30
2023-24	351090.30	288908.80	639999.10	270459.50	369539.60

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	4255596.66	7094762.46	11350359.12	6493032.75	4857326.37
2023-24	4857326.37	3215850.01	8073176.38	3418253.11	4654923.27

सचिव (Pawan Kumar)
ग्राम पंचायत – कसौली, गढ़खल,
वि०ख० – धर्मपुर, जिला सोलन, हि०प्र०

परिशिष्ट "ख", पैरा संख्या 4,6 के सन्दर्भ में

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP KASAULI GARKHAL FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	4TH STATE	2022-23	105678.00	0.00	105678.00	0.00	105678.00
		2023-24	105678.00	0.00	105678.00	0.00	105678.00
2	5TH STATE	2022-23	66594.16	408452.00	475046.16	327700.00	147346.16
		2023-24	147346.16	525006.00	672352.16	528542.00	143810.16
3	LDP	2022-23	97750.74	176046.00	273796.74	159006.00	114790.74
		2023-24	114790.74	166300.00	281090.74	160917.00	120173.74
4	MMGPY	2022-23	15480.86	134667.00	150147.86	148412.00	1735.86
		2023-24	1735.86	120000.00	121735.86	58564.00	63171.86
5	VMJS	2022-23	750000	2303799.62	3053799.62	3053799.62	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	IAY	2022-23	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00
		2023-24	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00
7	MPLADS	2022-23	0	288500.00	288500.00	31782.00	256718.00
		2023-24	256718.00	420000.00	676718.00	406372.00	270346.00
8	SBM	2022-23	0.00	216458.00	216458.00	195861.00	20597.00
		2023-24	20597.00	0.00	20597.00	0.00	20597.00
9	DPAP	2022-23	65673.00	0.00	65673.00	0.00	65673.00
		2023-24	65673.00	0.00	65673.00	0.00	65673.00
10	VKVNY	2022-23	88076.20	274000.00	362076.20	37079.00	324997.20
		2023-24	324997.20	98000.00	422997.20	135015.00	287982.20
11	ICDS	2022-23	35182.70	9500.00	44682.70	39624.00	5058.70
		2023-24	5058.70	0.00	5058.70	0.00	5058.70
12	RGSA	2022-23	300050.00	0.00	300050.00	0.00	300050.00
		2023-24	300050.00	0.00	300050.00	0.00	300050.00
13	NRLM	2022-23	51056.54	0.00	51056.54	0.00	51056.54
		2023-24	51056.54	0.00	51056.54	0.00	51056.54
14	NRHM	2022-23	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00
		2023-24	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00
13	SCSP	2022-23	35182.70	9500.00	44682.70	39624.00	5058.70
		2023-24	5058.70	0.00	5058.70	0.00	5058.70
14	SDP	2022-23	120000.00	142830.30	262830.30	256400.30	6430.00
		2023-24	6430.00	26731.70	33161.70	27497.70	5664.00
15	SDRF	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	50000.00	50000.00	49796.00	204.00
16	13TH FC	2022-23	69592.00	0.00	69592.00	0.00	69592.00
		2023-24	69592.00	0.00	69592.00	0.00	69592.00
17	14TH FC	2022-23	611.46	12.00	623.46	66.80	556.66
		2023-24	556.66	16.00	572.66	70.80	501.86
18	15TH FC	2022-23	2453648.30	1863552.00	4317200.30	936232.49	3380967.81
		2023-24	3380967.81	357393.00	3738360.81	599075.30	3139285.51
19	MNREGA	2022-23	0.00	1267445.54	1267445.54	1267445.54	0.00
		2023-24	0.00	1452403.31	1452403.31	1452403.31	0.00

सचिव
ग्राम पंचायत – कसौली, गढ़खल,
वि०ख० – धर्मपुर, जिला सोलन, हि०प्र

परिशिष्ट "ग" पैरा संख्या 4(क) के सन्दर्भ में

कार्यालय ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल, विकास खण्ड धर्मपुर, ज़िला सोलन,हि०प्र०, पिन-173201

बैंक व रोकड़ बही अंतर

ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष:-

क्र० स०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	सभा निधि / SF, 4TH SFC, MPLADS, MMGPY, NRHM, SBM, VKVNY, VMJS, LDP, 14वां वित्तायोग / 14FC	जोगिंद्रा सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक, गढ़खल	102734029100060	79115.70
2	4TH SFC , DPAP, ICDS, LADP, MPLADS, MMGPY, NRHM, SDP, SDRF, SBM, VKVNY, VMJS, 13TH FC , 14TH FC & सभा निधि / SF	जोगिंद्रा सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक, धर्मपुर	100734029000026	849978.28
3	सभा निधि / SF, MMGPY,	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक धर्मपुर	89271100000116	2470.56
4	सभा निधि / SF, NRLM,	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक धर्मपुर	89271100000125	53805.64
5	सभा निधि / SF, 14वां वित्तायोग / 14FC, IAY,	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, गढ़खल	02281000002450	4766.86
6	14वां वित्तायोग / 14FC	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक धर्मपुर	89271100000024	500.86
7	सभा निधि / SF, 15वां वित्तायोग / 15FC	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक धर्मपुर	89271100000151	2953674.99
			जोड़	3944312.89

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	5024517.89
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	3944312.89
अंतर :-	1080205.00

35

सचिव (Pawan Kumar)
ग्राम पंचायत – कसौली, गढ़खल,
वि०ख० – धर्मपुर, जिला सोलन, हि०प्र०

परिशिष्ट "छ", पैरा संख्या "8.1" के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत कसौली गड़खल द्वारा स्वतः स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा करवाये बिना ही ₹ 0.20 लाख के व्यय करने का विवरण

क्रम स.	वाउचर संख्या	दिनांक	रोकड़ व्यय जो बैंक के माध्यम से नही किया गया	राशि (₹)
1	OWN/2022-23/P/13	25.06.2022	Jalpan bill gram sabha	1000
2	OWN/2022-23/P/14	30.06.2022	Jalpan meeting	900
3	OWN/2022-23/P/16	27.07.2022	Paid to Gupta Traders bill no. 419	360
4	OWN/2022-23/P/24	26.08.2022	Paid to Om Dutt bill no. 568	900
5	OWN/2022-23/P/25	31.08.2022	Paid to Ram Kumar, Jalpan meeting	950
6	OWN/2022-23/P/26	31.08.2022	Paid to Chokidar Babu ram Batta	300
7	OWN/2022-23/P/27	31.08.2022	Paid to Om Dutt bill no. 594	650
8	OWN/2022-23/P/44	19.10.2022	Paid to Om Dutt bill no. 731, 734 & 745	950
9	OWN/2022-23/P/45	21.10.2022	Paid to Om Dutt bill no. 766	300
10	OWN/2022-23/P/46	21.10.2022	Paid EMM ESS Enterprises bill no. 1883	338
11	OWN/2022-23/P/47	21.10.2022	Paid to MS Anil Unix collection bill no. 1791	220
12	OWN/2022-23/P/48	17.12.2022	Paid to Raksha Painter bill no. 092	700
13	OWN/2022-23/P/49	17.12.2022	Paid EMM ESS Enterprises Bill no. 1837	370
14	OWN/2022-23/P/50	17.12.2022	Paid to Om Dutt Bill no. 790	300
15	OWN/2022-23/P/66	30.01.2023	Paid to bhatta Nidhi to chokidar	300
16	OWN/2022-23/P/67	30.01.2023	Paid to Ram Kumar Jalpan meeting	1000
17	OWN/2022-23/P/68	30.01.2023	Paid to Ram Kumar for safai work	250
18	OWN/2022-23/P/69	15.02.2023	Paid to Ram Kumar for jalpan meeting	960
19	OWN/2023-24/P/3	30.04.2023	Office expanse bill no. 328	699
20	OWN/2023-24/P/4	30.04.2023	Office expanse bill no. 037	600
21	OWN/2023-24/P/5	30.04.2023	Paid to Ram kumar	300
22	OWN/2023-24/P/17	01.06.2023	Paid to Om Dutt bill no. 897	300
23	OWN/2023-24/P/18	01.06.2023	Paid to Om Dutt bill no. 903	400
24	OWN/2023-24/P/19	20.06.2023	Paid to Om Dutt bill no. 933	300
25	OWN/2023-24/P/24	13.07.2023	Paid to Om Dutt bill no. 937	900
26	OWN/2023-24/P/25	25.07.2023	Paid to Om Dutt bill no. 843	600
27	OWN/2023-24/P/26	28.07.2023	Payment to Kartar Printing Bill no. 59	1000
28	OWN/2023-24/P/27	28.07.2023	Paid to Narinder for daily needs bill no. 1095	310
29	OWN/2023-24/P/42	31.08.2023	Paid to Om Dutt bill no. 974	1000
30	OWN/2023-24/P/60	29.09.2023	Payment to Ram Kumar for Jalpan	440
31	OWN/2023-24/P/68	30.11.2023	Payment to Ram kumar for Jalpan	940
32	OWN/2023-24/P/77	30.12.2023	Paid to Om Dutt bill no. 1029	600
33	OWN/2023-24/P/103	28.02.2024	Payment to Galaxy computer bill no. 895	450
34	OWN/2023-24/P/104	28.02.2024	Payment to Himalya Cloth bill no. 912	250
			कुल योग	19837

सचिव (Param Kumar)
ग्राम पंचायत – कसौली, गढ़खल,
वि०ख० – धर्मपुर, जिला सोलन, हि०प्र०

परिशिष्ट " ड ", पैरा संख्या " 8.2 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल द्वारा वित्त बर्ष 2022-23 व 2023-24 के माह 08/2022 व 06/2023 में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये गये जिनके फण्ड ट्रान्सफर आर्डर, माप आंकलन, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, माप पुस्तिका प्रस्तुत ना करने की सूचि

(क) ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल द्वारा बित्त वर्ष 2022-23 के माह 08/2022 में व्यय सम्बन्धित सूचि

क्रम संख्या	मद	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	प्राप्त राशि
1	मनरेगा	c/o अमृत सरोवर जोहडीधार कसौली गाँव	2022-2023	200000	27940
२	5 % DCP	निर्माण शौचालय तहसील कॉम्पलेक्स कसौली	2019	150000	148500
3	SBM-ग्रामीण	IHHI अनुदान SBM व्यक्तिगत शौचालय	2022	48000	48000
4	ICDS	रिपेयर शौचालय आंगनवाडी कसौली गाँव ...icds	2022	50000	49500
5	SFC-ZP	खेल मैदान कसौली गाँव -sfc zp	2017	300000	300000
6	VMJS	निर्माण रोड फिक्सिंग ऑफ पेवर ब्लॉक टाइल्स कार्य कसौली गाँव राजू पंडित के घर से लड़ाह समोल नाला-VMJS	2022	4000000	2800000
7	SBM-SLWM	निर्माण गंदे पानी का नाला व नालिया नजदीक रमाडा होटल गाँव सनावर	2020	100000	99000
8	SBM-SLWM	निर्माण गंदे पानी की नालियाँ गाँव शलोई के रास्ते के साथ	2020	150000	126458
9	SBM-SLWM	c/o सेग्रीगेशन शेड नजदीक पंचायत घर गडखल	2020	300000	297000
10	SBM-SLWM	c/o गंदे पानी की नालियाँ व सोखता गड्डे नजदीक गोपी राम के घर के साथ गाँव कसौली	2020	100000	99000
11	15 TH FC	निर्माण एंबुलेंस रोड ग्राम नालवा वार्ड नंबर 8....BDC	2020	70000	70000
12	15 TH FC	निर्माण नाली गंदे पानी की निकासी ग्राम देवरी ....BDC	2020	50000	50000
13	15 TH FC	गढ़खल गुनाई सड़क से लड़ाह गांव के लिए एंबुलेंस सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत कसौली गड़खल ....ZP	2020	200000	200000
14	15 TH FC	ठोस तरल कचरा प्रबंधन ग्राम पंचायत कसौली गडखल ....GP	2021	40000	40000
			राशी	5758000	4355398

(ख) ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल द्वारा बित्त वर्ष 2023-24 के माह 06/2023 में व्यय सम्बन्धित सूचि

क्रम संख्या	मद	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	प्राप्त राशि
1	मनरेगा	c/o Soil Con. Work R/Wall आंगनवाड़ी देवरी के पास	2023-2024	150000	4389
2	मनरेगा	c/oRWHS शिव दत्त पुत्र सोहन लाल निवासी दोची	2022-2023	150000	25692.6
3	मनरेगा	c/oR/Wall, यशपाल पुत्र भीम सिंह के घर के पास, गांव कुम्हारी	2022-2023	50000	4844
4	मनरेगा	c/oRWHS मदन लाल पुत्र साध राम निवासी गोसन	2022-2023	150000	37632
5	मनरेगा	c/oR/Wall (घर की सुरक्षा) फकीर चंद गांव गोस्सान	2023-2024	50000	4180
6	मनरेगा	Add Amt for comp of Link Road Goan Dochi	2023-2024	500000	8778
7	मनरेगा	Land Development मोक्ष धाम नन्दोह	2020-2021	300000	20068
8	मनरेगा	c/o Upgradation ऑफ़ पाथ मोक्षधाम ग्राम लडाह	2022-2023	300000	40284
9	मनरेगा	c/o RWHS भगवान दास पुत्र राम दास निवासी टिकैटहट्टी	2022-2023	150000	17401.58
10	मनरेगा	c/o RWHS लेख राम पुत्र नाथू राम ग्राम। लडाह	2022-2023	150000	26836
11	मनरेगा	कैटल शेड के पास अमर सिंह पुत्र नाथू राम निवासी लडाह	2022-2023	35000	3460
12	मनरेगा	L/D धरम दत्त पुत्र नहतु राम निवासी लडाह	2022-2023	100000	7958
13	मनरेगा	c/o गौशाला भीम सिंह पुत्र पत राम निवासी कुम्हारी	2022-2023	35000	4498
14	मनरेगा	Compeletion सामुदायिक केंद्र सनावर गोवा का	2023-2024	500000	52588
15	मनरेगा	c/o मोक्ष धाम मांडो मटकंडा होटल नमस्कार के पास	2023-2024	300000	91098
16	मनरेगा	Soil Con. कार्य एवं रिटेनिंग वॉल शिव एन्क्लेव देवरी	2022-2023	500000	144573.7
17	मनरेगा	c/o RWH टैंक राम सिंह पुत्र ब्रेस्टु राम गांव। कसौली गोवा	2022-2023	150000	12957.9
18	मनरेगा	c/o लिंक रोड किमुघाट ब्रेउरी रोड	2022-2023	1000000	35313
19	15TH FC -ZP	गढ़खल गुनाई सड़क से लड़ाह गांव के लिए एंबुलेंस सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत कसौली गड़खल ....ZP	2020	200000	200000

सचिव
ग्राम पंचायत – कसौली, गढ़खल,
वि०ख० – धर्मपुर, जिला सोलन, हि०प्र०

20	15TH FC -ZP	कसौली गांव में शिव मंदिर के पास वर्षा के पानी का संग्रहण टैंक व सार्वजनिक शौचालय का निर्माण पंचायत कसौली गड़खल ....ZP	2020	150000	150000
21	15TH FC -BDC	निर्माण पेयजल संग्रहण टैंक लडाह व शान्वली के लिए ....BDC	2020	110000	110000
22	15TH FC - PANCHAYAT	अपवर्धन रास्ता लडाह ....GP	2021	100000	100000
23	15TH FC - PANCHAYAT	रिपेयर व मेंटेनेंस लिंक रोड नालवा पानवा ....GP	2021	100000	100000
			राशी	5230000	1202552

कुल राशी (क+ख)	5557950

Pradhan
G-P Kasauli

सचिव
ग्राम पंचायत – कसौली, गढ़खल,
वि०ख० – धर्मपुर, जिला सोलन, हि०प्र०

परिशिष्ट "ट", पैरा संख्या "8.3" के संदर्भ में

ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के केवल चयनित माह 08/2022 व 06/2023 में आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को राशी ₹ 0.47 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा0 सं ० / दिनांक	बिल सं ०/ दिनांक	मद का नाम	Qty (Feet)	Qty (Cum)	Determining Factor	Qty MT	Royality (Per MT)	Due Royality
1	DEV RAJ THAKUR & BROTHERS	VMJS/2022-23/P/5/10.08.2022	1791/-12.07.2022	GATKA	710	20.11	2.24	45.05	80	3604.00
				BAJARI 20MM	200	5.66	1.54	8.72	80	697.60
2			1793/-15.07.2022	BAJARI 20MM	340	9.63	1.54	14.83	80	1186.40
				SAND	500	14.16	1.62	22.94	80	1835.20
3			1794/-16.07.2022	SAND	310	8.78	1.62	14.22	80	1137.60
4	DEV RAJ THAKUR & BROTHERS	VMJS/2022-23/P/9/16.08.2022	1792/-14.07.2022	SAND/DUST	710	20.11	1.62	32.58	80	2606.40
5			1801/-28.07.2022	SAND	570	16.14	1.62	26.15	80	2092.00
				S/DUST	340	9.63	1.62	15.6	80	1248.00
6			1802/-30.07.20222	GATKA	510	14.44	2.24	32.35	80	2588.00
				S/SAND	200	5.66	1.62	9.17	80	733.60
				BAJARI 20mm	200	5.66	1.54	8.72	80	697.60
7	Dav Raj	SBM/2022-23/P/8/31.-8-2022	1035/16.02.2022	Cut stone	1500	6.82	2.24	15.28	80	1222.40
				Sand	50	1.42	1.62	2.3	80	184.00
				Bajri	30	0.85	1.54	1.31	80	104.80
8	Dav Raj	SBM/2022-23/P/9/31.-8-2022	1599/20.02.2022	Boulder	450	12.74	2.24	28.54	80	2283.20
9	DEV RAJ THAKUR & BROTHERS	XVFC/2023-24/P/2/29.06.2	2172/28.05.2023	sand	540	15.29	1.62	24.77	80	1981.60
				Gatka	200	5.66	2.24	12.68	80	1014.40
10	DEV RAJ THAKUR & BROTHERS	XVFC/2023-24/P/3/29.06.2	2188/21.06.2023	Bajri	200	5.66	1.54	8.72	80	697.60
				Sand	200	5.66	1.62	9.17	80	733.60
11	DEV RAJ THAKUR & BROTHERS	24/P/4/29.06.2023	2073/21.01.2023	Sand	100	2.83	1.62	4.58	80	366.40
				Bajri	200	5.66	1.54	8.72	80	697.60
12	DEV RAJ THAKUR & BROTHERS	XVFC/2023-24/P/5/29.06.2	2072/20.01.2023	Sand	200	5.66	1.62	9.17	80	733.60
				Bajri	250	7.08	1.54	10.9	80	872.00
13	Dev Raj Thakur & Brother	NA/22-06-2023	2205/24.03.2023	Cutstone	2000	9.09	2.24	20.36	80	1628.80
				Gatka	200	5.66	2.24	12.68	80	1014.40
14		NA/22-06-2023	2206/24.03.2023	Cutstone	1000	4.55	2.24	10.19	80	815.20
				Sand	300	8.50	1.62	13.77	80	1101.60
15	Dev Raj Thakur & Brother	NA/22-06-2023	2204/24.03.2023	Sand	300	8.50	1.62	13.77	80	1101.60
16	Dev Raj Thakur & Brother	NA/22-06-2023	1900/28.10.2022	Sand	200	5.66	1.62	9.17	80	733.60
17	Dev Raj Thakur & Brother	NA/22-06-2023	2122/11.03.2023	Sand	240	6.80	1.62	11.02	80	881.60
18	Dev Raj Thakur & Brother	NA/22-06-2023	2203/24.03.2023	Sand	300	8.50	1.62	13.77	80	1101.60
									Total	37696.00
									Panelity @ 25 %	9424.00
									कुल राशी	47120.00

सचिव (Pawan kumar)
ग्राम पंचायत कसौली - गढ़खल
वि० ख० धर्मपुर जि० सोलन (हि० प्र०)

-33- 32

परिशिष्ट " ई ", पैरा संख्या " 8.4 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के माह 08/2022 व 06/2023 में बिना (Cordal Formality) के बिना ₹ 2.54 लाख की राशी की क्रय किये गये सामग्री/स्टॉक की सूची

क्र०सं०	कार्य का नाम	आपूर्तिकर्ता	वा0 सं ० / दिनांक	बिल सं ०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	राशी	टिप्पणी
1	निर्माण रोड फिक्सिंग ऑफ पेवर ब्लॉक टाइल्स कार्य कसौली गाँव राजू पंडित के घर से लड़ाह	DEV RAJ THAKUR & BROTHERS	VMJS/2022-23/P/4/06.08.2022	1038/-	carriage cement 300 bags	300 bags	50/-	15000.00	केवल एक निविदा प्रस्तुत की गई
2	रिपेयर शौचालय आंगनवाडी कसौली गाँव .	M.R.TRADERS	ICDS/2022-23/P/1/24.08.2022	377/-17-07-2022	WALL TILES 1"1.5	7 BOX	340	13322.00	प्रस्ताव रजिस्टर में निविदाओं का ब्योरा अंकित नही किया गया
					FLOOR TILES 1"1	11 BOX	450		
3		GUPTA HARDWARE & GEN.STORE	ICDS/2022-23/P/2/24.08.2022	282/-16.07.2022	WASH BASIN S S	1 NOS	600	950.00	
					PAINT SKY BLUE 1"1	1	350		
				283/-20.07.2022	DISTEMPER	1"5 KGS	70	800.00	
					WALL PUTTY	5KGS	40		
					THINNER	01 BOTTLE	150		
					BRUSH 3"	1	100		
4		RANA HARDWARE	ICDS/2022-23/P/3/24.08.2022	115/-28.07.2022	GI NIPPLE 1"(25mm)	1PCS	150	3098.00	
					GI NIPPLE 1"(25mm)	1PCS	60		
					EL BOW 3/4 "20 mm CPVC	6PCS	20		
					F.ELBOW 3/4""1/2 BRASS	4PCS	70		
					F.TEE 3/4 *1/2 BRASS	3PCS	110		
					TEE 3/4 20mm CPVC	3PCS	30		
					BALL VALVE 3/4 " CPVS	1PCS	200		
					CPVC SOLVENT 100ml	1 can	177		
					socket 3/4 (coupling)cpvc	2PCS	15		
					FEMALE SOCKET 1"				
					BRASS ADOPTER	2PCS	100		
					END PLUG 3/4 'CPVC	4PCS	12		
					PIPE 3/4 "(20mm)cpvc	2 nos	260		
					pillar Cock	2 pcs	210		
					round off				
5	रिपेयर शौचालय आंगनवाडी कसौली गाँव	Aggarwal & co	ICDS/2022-23/P/6/26.08.2022	665/-09.05.2022	water Tank 500 Ltr	1 nos	2204	3073.00	प्रस्ताव रजिस्टर में अंकित नही की गई
					round off		0.28		

39
-34-

सचिव (Pawan Kumar)
ग्राम पंचायत कसौली - [illegible]
वि ख धर्मपुर जि सोलन (हि प्र)

6	निर्माण शौचालय तहसील कॉम्पलेक्स कसौली	Shiva Traders	SDP/2022-23/P/5/30.08.2022	6368/16.07.2022	Gyser 15 ltr	2 nos	4500	10620.00	प्रस्ताव रजिस्टर में अंकित नही की गई
7		Subhash Chand Surender Kumar	SDP/2022-23/P/6/30.08.2022	665/16.07.2022	water tanki	1	3644	16072.00	निविदाये प्रस्तुत ना करना
					GI Pipe 15mm	11	805		
					Elbow	15pic	20		
					T	8pcs	25		
					Socket	8pcs	20		
					Nipple Mix	15 pcs	20		
					I Ball cock	1	200		
					Tank Nipple	2	40		
					Dhaga	2	8		
					Safeda	200 gm	65		
8		HINDUSTAN SANITARY STORE	SDP/2022-23/P/7	M-1855/24.08.2022	floor tiles 24*24 Vitrified/GVT/DC	30 Box	16271	25950.00	प्रस्ताव रजिस्टर में अंकित नही की गई
					Wall tiles 12*24	15 Box	57720		
					round off		0.02		
9	रिपेयर व मेंटेनेंस लिंक रोड नालवा पानवा	Himachal Steel	XVFC/2023-24/P/6/30.06.2023	A000103 / 13.05.2023	Paver Block 80mm	2000	16.9	39884.00	प्रस्ताव रजिस्टर में अंकित नही की गई
10	C/o Mokash Dham Mando Matkanda Near Hotel Namskar (1311001026/AV/8000040985)	NA/22-06-2023	Ashu Traders	SQ0004/04.10.2022	Channel 150 mm	900	60/-	125286.50	बिना बिल के भुगतान करना, व निविदाये नही दिखाना
					Channel 75 mm	120	60/-		
					MS Angel 50*5	300	58.50/-		
					MS Pipe 50*50	150	62.50/-		
					GI Plane Sheet 60mm	1	950/-		
					GI Plane Sheet 12 ft	12	1425/-		
							कुल राशी	254055.50	

सचिव (Pawan Kumar)
ग्राम पंचायत कसौली ... वि॰ ख॰ धर्मपुर जि॰ सोलन (हि॰ प्र॰)

परिशिष्ट " ज ", पैरा संख्या " 8.5 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल द्वारा वित्त बर्ष 2022-23 व 2023-24 केवल चयनित माह 08/2022 व 06/2023 के अंकेक्षण में वोउचरों की जाँच में पाया की निविदा में अंकित दर से अधिक दर से ₹ 0.07 लाख का अनियमित किया गया जिसकी सूची से प्रकार से है

शीर्ष	कार्य का नाम	आपूर्तिकर्ता	वा0 सं ० / दिनांक	बिल सं ०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	निविदा में अंकित दर प्रति इकाई	अदा राशि मूल राशी प्रति इकाई	अदा राशि मूल राशी	अदा की गई TAX की राशी	अदा की गई राशि (₹)	निविदा अनुसार भुगतान की जाने योग्य राशि (₹) (मूल राशी + 5% GST)	अधिक भुगतान की गई राशि (₹)
VMJS	नि० कार्य एम्बुलेंस रोड इंटरलॉकिंग पेवर ब्लाक कसौली गाँव श्री राजू पंडित के घर से लडाह समोल नाला	Dev Raj Thakur & Brother	VMJS/2022-23/P/5/10.08.2022	1791 / 12.07.2022	Gatka	710 Sq Ft	45	50	35500	1775	37275.00	33547.50	3727.50
VMJS			VMJS/2022-23/P/9/16.08.2022	1802/-30.07.2022	Gatka	510 SqFt	45	50	25500	1275	26775.00	24097.50	2677.50
15TH FC	गढ़खल गुनाई सड़क से लड़ाह गांव के लिए एंबुलेंस सड़क का निर्माण ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल		XVFC/2023-24/P/2/29.06.2023	2172/-28.05.2023	Gatka	200 SqFt	45	50	10000	500	10500.00	9450.00	1050.00
												कुल राशी	7455.00

[signature]
सचिव (Pawan Kumar)
ग्राम पंचायत कसौली - गढ़खल
वि.ख. धर्मपुर, जि. सोलन (हि.प्र.)

46

-562

परिशिष्ट " 3I ", पैरा संख्या " 8.6 " के सन्दर्भ में

<u>ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल द्वारा वित्त बर्ष 2022-23 व 2023-24 के माह 08/2022 व 06/2023 से संबंधित मास्टर रोलों की विभिन्न अनियमिताओं के कारण ₹0.06 लाख के अनियमित भुगतान की सूचि</u>

(क) निर्माण कार्य RWHS श्री मदन लाल पुत्र श्री साध राम

अनुदान	मनरेगा
कार्य परिसंपत्ति संख्या	1311001026/IF/32292610
कार्य स्वीकृति संख्या: 1311001026/2022-23/46083/AS दिनांक 27.03.2023	
तकनीकी स्वीकृति संख्या: 1311001026/2022-23/46083/TS दिनांक 27-03-2023	
माप पुस्तिका संख्या 14529 पृष्ठ संख्या 85	

माप पुस्तिका संख्या / पृष्ठ संख्या	मस्टर रोल संख्या / दिनांक	माप पुस्तिका में निष्पादित कार्य की गणना के अनुसार (Unskilled Labour) श्रम का कुल भुगतान योग्य राशी (क)	मस्टर रोल में भुगतान की गई राशी (ख)	अधिक व अनियमित भुगतान की गई राशि (₹) (ग) = (ख-क)
14529/ 83	1690 / 17.05.2023	18816.00	20160.00	1344.00
14529/ 85	2201 / 03.06.2023	18816.00	20160.00	1344.00
			कुल योग	2688.00

(ख) निर्माण कार्य RWHS श्री शिव दत्त पुत्र श्री सोहन लाल

अनुदान	मनरेगा
कार्य परिसंपत्ति संख्या	1311001026/IF/32212046
कार्य स्वीकृति संख्या: 1311001026/2021-22/7986/AS दिनांक 17.02.2022	
तकनीकी स्वीकृति संख्या: 1311001026/2021-22/7986/TS दिनांक 17.02.2022	
माप पुस्तिका संख्या 14529 पृष्ठ संख्या 84	

माप पुस्तिका संख्या / पृष्ठ संख्या	मस्टर रोल संख्या / दिनांक	माप पुस्तिका में निष्पादित कार्य की गणना के अनुसार (Unskilled Labour) श्रम का कुल भुगतान योग्य राशी (क)	मस्टर रोल में भुगतान की गई राशी (ख)	अधिक व अनियमित भुगतान की गई राशि (₹) (ग) = (ख-क)
14529/ 84	1689 / 17.05.2023	12335.00	13216.00	881.00
			कुल योग	881.00

ग्राम रोजगार सेवक (Satya Vrat Sharma)
ग्राम पंचायत Kasauli Garkhal
वि० ख० धर्मपुर (सोलन)

सचिव (Pawan Kumar)
ग्राम पंचायत – कसौली, गढ़खल
वि०ख० – धर्मपुर जिला सोलन, हि०प्र०

Rajeev Kumar
Kasauli Garkhal

(ग) निर्माण कार्य अमृत सरोवर जोडिधाकसौली गाँव

अनुदान	मनरेगा
कार्य परिसंपत्ति संख्या	1311001026/WC/8000110265
कार्य स्वीकृति संख्या: 1311001026/2022-23/59642/AS दिनांक 30.04.2022	
तकनीकी स्वीकृति संख्या: 1311001026/2022-23/59642/TS दिनांक 29.04.2022	
माप पुस्तिका संख्या 14529 पृष्ठ संख्या 47	

मस्ट्रोल संख्या / क्रम स०	मस्ट्रोल जारी करने की तारीख	व्यक्ति का नाम	कार्य करने की अवधि	मस्ट्रोल में उपस्थित दिनों की संख्या	बिना हस्ताक्षर भुगतान बाले दिनों की संख्या	भुगतान दर	अधिक भुगतान की गई राशि
2690 / 3	15.07.2022	ममता	17-07-2022 व 19-07-2022 से 27-07-2022	10 दिन	10 दिन	212.00	2120.00
						योग	2120.00
						कुल योग (क+ख+ग)	5689.00

(Satya Vrat Sharma)
ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत Kasauli Gard/Chol
वि० ख० धर्मपुर (सोलन)

सचिव (Pawan kumar)
ग्राम पंचायत – कसौली, गढ़खल,
वि०ख० – धर्मपुर, जिला सोलन, हि०प्र०

Pradhan
Rakesh Kumar
G.P. Kasauli Gardal

परिशिष्ट "न ", पैरा संख्या " 9 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत कसोली गढ़खल द्वारा बित्त बर्ष 2022-23 व 2023-24 के माह 08/2022 व 06/2023 में मनरेगा के वोउचरों के अंकेक्षण पाया गया कि बिना मूल बिलों के ₹ 2.03 लाख की सामग्री के भुगतान किया गया है जिसकी सूची

क्रम सं०	कार्य का विवरण	आपूर्तिकर्ता का नाम	रोकड़ बही वॉचर संख्या /दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	भुगतान की गई राशी	टिप्पणी
1	Soil Conservation work and Retaining wall Shiv Enclave	Dev Raj Thakur & Brothers	NA / 22.06.2023	2205 / 24.03.2022	46200	भुगतान बिल की नकल प्रतिलिपि (Xerox Copy)के बदले अनियमित भुगतान करना
2			NA / 22.06.2023	2206 / 24.03.2022	35175	
3	C/o RWH Tank Ram Singh S/o Shri Brestru ram Vill. Kasauli		NA / 22.06.2023	2212 / 11.03.2023	13860	
4	C/o Mokash Dham Mando Matkanda Near Hotel	Ashu Traders	NA / 22.06.2023	(Sales Quotation) SQ0004 /04.10.2022	107496	Paid against Quotation
				कुल राशी	202731	

(Lalit Kumar Sharma) ग्राम रोजगार सेवक ग्राम पंचायत Kasauli Garkhal वि० ख० धर्मपुर (सोलन)

T.A Rak... G.P Kasauli Garkhal

सचिव (Pawan Kumar) ग्राम पंचायत – कसौली, गढ़खल, वि०ख० – धर्मपुर, जिला सोलन, हि०प्र०

42

परिशिष्ट " ट ", पैरा संख्या " 12.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल के द्वारा वित्त बर्ष 2022-23 व 2023-24 के माह 08/2022 व 06/2023 में बिना मूल बिलों के ₹ 1.94 लाख की सामग्री के भुगतान की सूची जिसका स्टॉक रजिस्टर मे प्रविष्टी बिना समग्री के प्राप्ति के की गई है व लगभग एक वर्ष के उपरान्त भी समायोजन नहीं किया गया है

अनुदान	क्रम संख्या	कार्य का विवरण	आपूर्तिकर्ता	रोकड़ बही वॉचर संख्या / दिनांक	बिल संख्या /Performa संख्या / दिनांक	मद का नाम	मात्रा	राशी	स्टॉक रजिस्टर पृष्ट संख्या	टिप्णी
मनरेगा	1	C/o Completion of community centre Sanawar	HPSCSC LTD	NA / 22.06.2023	11574 / 23.11.2022	Cement	150 Beg	52970	35	अग्रीम भुगतान के अनुरूप स्टॉक रजि मे प्रविष्टीयां करना व भुगतान की गई राशी का एक वर्ष के उपरान्त भी समायोजन नही करना
	2	Soil conservation work and retaiining wall Shiv enclave	HPSCSC LTD	NA / 22.06.2023	11573 / 23.11.2022	Cement	200 Beg	70626	35	
	3	C/o Upgradation Path Mokashdham Vill. Ladha	HPSCSC LTD	NA / 22.06.2023	11584 / 06.12.2022	Cement	100 Beg	35313	35	
	4	C/o Link Road Kimughat Breaury Road	HPSCSC LTD	NA / 22.06.2023	11575 / 23.11.2022	Cement	100 Beg	35313	35	
							कुल राशी	194222		

(Satyawat Sharma) Kasauli Garkha
प्रधान ग्राम पंचायत ... वि० ख० धर्मपुर (सोलन)

Pradhan G.P Kasauli

सचिव (O. Walam)
ग्राम पंचायत - कसौली, गढ़खल,
वि०ख० - धर्मपुर, जिला सोलन, हि०प्र०

43

परिशिष्ट " ठ ", पैरा संख्या " 13 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 08/2022 के वोउचरों में स्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹ 0.05 लाख की वसूली न करने की सूची

कार्य का नाम	आपूर्तिकर्ता	वा0 सं ० / दिनांक	बिल सं ०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	भुगतान की गई राशी (₹)	कटौती की दर	स्रोत पर कर की राशी (₹)
निर्माण रोड फिक्सिंग ऑफ पेवर ब्लॉक टाइल्स कार्य कसौली गाँव राजू पंडित के घर से लड़ाह समोल नाला-VMJS	M/S JAI BHOLE SHANKER INDUSTRIES	VMJS/2022-23/P/2/05.08.2022	390/-14.07.2022	INTERLOCKING TILES	2700 nos	13.2	48331.62	1%	483.32
			391/-15.07.2022	INTERLOCKING TILES	2700 nos	13.2	48331.62	1%	483.32
			392/-16.07.2022	INTERLOCKING TILES	2700 nos	13.2	48331.62	1%	483.32
			393/-16.07.2022	INTERLOCKING TILES	1600 nos	13.2	28640.00	1%	286.4
		VMJS/2022-23/P/7/16.08.2022	407/-06.08.2022	INTERLOCKING TILES	1750 nos	13.2	31324.56	1%	313.25
			408/-09.08.2022	INTERLOCKING TILES	1750 nos	13.2	31324.56	1%	313.25
			409/-09.08.2022	INTERLOCKING TILES	1750 nos	13.2	31324.56	1%	313.25
		VMJS/2022-23/P/8/09.08.2022/16.08.2022	394/-28.07.2022	INTERLOCKING TILES	1750 nos	13.2	30430.00	1%	304.30
			395/-29.07.2022	INTERLOCKING TILES	1750 nos	13.2	30430.00	1%	304.30
			396/-30.07.2022	INTERLOCKING TILES	1750 nos	13.2	31324.56	1%	313.25
			397/-31.07.2022	INTERLOCKING TILES	1750 nos	13.2	31324.56	1%	313.25
			398/-01.08.2022	INTERLOCKING TILES	1750 nos	13.2	31324.56	1%	313.25
			402/-05.08.2022	INTERLOCKING TILES	1750 nos	13.2	31324.56	1%	313.25
			404/-05.08.2022	INTERLOCKING TILES	1750 nos	13.2	31324.56	1%	313.25
			405/-06.08.2022	INTERLOCKING TILES	1750 nos	13.2	31324.56	1%	313.25
								कुल राशी	5164.21

(Pawan Kumar)
सचिव
ग्राम पंचायत - कसौली, गढ़खल,
वि०ख० - धर्मपुर, जिला सोलन, हि०प्र०

49